फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कमलेश रेगर पुत्र श्री नारायण लाल रेगर, नि. रेगर मोहल्ला, केलवा जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 16/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 20.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु ऑनलाईन प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांक एफ.1( )सू.अ.,05/प्र.अपील/2023/198–199 दिनांक 13.03.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 08 तक जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित होने से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च)(ञ) एवं धारा 8 2(ञ) में अभिप्रेत सूचना ही देने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में वाछित सूचना में आवेदक हितबद्ध व्यक्ति नहीं है वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित होने से वांछित सूचना उपलब्ध करवाना विधिनुमत नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी को जरिये ऑन लाईन सूचित किया जा चुका है।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना बिन्दु संख्या 01 से 08 तक जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित होने से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च)(ञ) एवं धारा 8 2(ञ) में अभिप्रेत सूचना ही देने का प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में वाछित सूचना में अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति नही होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत उपलब्ध करवाना विधिनुमत नहीं होने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद